कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.21( )2022–23/विकास/प्रमुवसं/ 1907-21 दिनांक : 13.05.22

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर/जयपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/नदी घाटी परियोजना कोटा/
वन्य जीव, जयपुर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव,सरिस्का(अलवर)/एफपीआरपी,जयपुर/
वन वर्धन,जयपुर/विभागीय कार्य,जयपुर
निदेशक,राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान,जयपुर

विषय :– भवन संधारण हेतु बजट आवंटन वर्ष 2022–23 (राज्य निधि)।

महोदय,

राज्य योजना में लेखा मद 2406–01–101–20–00 वानिकी संचार तथा भवनों का आधुनिकीकरण, पुनर्जीवीकरण, नवीकरण एवमं उन्नयन, 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत(मेन्टीनेन्स) के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 हेतु बजट का आवंटन संलग्न **"परिशिष्ट –1"** अनुसार किया जाता है। कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. उक्त आवंटन आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं इस कार्यालय के अभिलेखो के आधार पर किया गया है। यदि इसमे किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो शीघ्र विवरण सहित अवगत करावें।
2. उक्त आंवटन में यदि राशि का उपयोग संभव नही है अथवा बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जावें। यदि किसी योजनान्तर्गत आवंटन से पूर्व नरेगा योजना अथवा कैम्पा में कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हो तो इस कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को तत्काल समर्पित करना सुनिश्चित करें।
3. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
4. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि आवंटित राशि का उपयोग करते समय एक योजना के कार्यो का अन्य योजनाओं के साथ ओवरलेपिग न हो। मुख्य वन संरक्षकगण इसे व्यक्तिशः सुनिश्चित करें।
6. वित्त(आय–व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
7. चूंकि सभी मुख्य वन संरक्षकगणों विभागाध्यक्ष है अतः योजना के पूर्ण कियान्वयन, तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रकियाओ का प्रबोधन (मॉनिटरिंग) नियमित रुप से अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चितं करे।
8. मुख्य वन संरक्षकगण प्रतिमाह योजनाओं कियान्वयन के संबंध में संबंधित उप वन संरक्षकगण की बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करे तथा उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाये।

घर-घर औषधि योजना

9. **यदि 31 अगस्त 2022 तक आवंटित राशि का 100 % उपयोग नही किया जाता है तो इस राशि को प्रत्याहरित कर अन्यत्र आवंटित किया जा सकता है। उक्त अवधि में बकाया देनदारिया रहती है तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः 31 अगस्त 2022 तक समस्त राशि का उपयोग सुनिश्चित करें एवं प्रगति से अवगत करावें।**

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा प्रतिमाह की 8 तारीख को गत माह तक हुई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जाती है अतः **आंवटित राशि के विरूद्ध प्रतिमाह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना संबंधित मुख्य वन संरक्षक निर्धारित प्रपत्रो में ऑन लाइन कर मुख्य वन संरक्षक, (आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रतिमाह अर्द्ध शासकीय पत्र से भेजना सुनिश्चित करें।**

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि राशि जिस मद में आंवटित की गई है। उसी मद में नियमानुसार व्यय की जावें। किसी भी परिस्थिति में किसी मद में आंवटित राशि से अधिक व्यय नही किया जावें एवं समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशो की पालना की जावें। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार से आयोजना एवं वित्तीय प्रबधन करें जिससे निर्धारित वितीय एवं उसके अनुरूप भौतिक कार्यो की प्रगति नियमानुसार संतोषजनक रूप से समय पर होती रहे।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
राजस्थान,जयपुर

कमांक एफ.21( )2022–23/विकास/प्रमुवसं/ 1922–1976 दिनांक : 13/5/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान, जयपुर ।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,कैम्पा,राजस्थान,जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित उप वन संरक्षक.......................................।
5. प्रभारी अंक मिलान (लेखाशाखा)/संकलन शाखा(सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर अनुभाग वेब साईट पर अपलोड हेतु/गार्ड फाईल।

(अमर सिंह गोठवाल)
मुख्य वन संरक्षक(आयोजना)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर

संचार एवं भवन अन्तर्गत भवन संधारण हेतु राशि का आवंटन

लेखा मद 2406–01–101–20–21–वानिकी संचार तथा भवनो का आधुनिकीकरण, पुर्नजीविकरण,नवीनीकरण एवं उन्नयन

(राशि रू. लाखों में)

Name of CCF	Name of Div.	कार्यालय एवं आवास हेतु	विश्रामगृह हेतु	योग	वि.वि.
CCF, Bharatpur	DCF, Karoli	1.50	0.50	2.00	
	SF, S.Modhopur	1.50		1.50	
	DCF, Dholpur	5.00		5.00	
	DFO, Bharatpur	1.50	0.00	1.50	
	Total	9.50	0.50	10.00	
CCF, Jaipur	DCF, Alwar	5.00	0.50	5.50	
	DCF, Jhunjhunu	2.00		2.00	
	DCF, Sikar	3.00	1.00	4.00	
	DCF, Dausa	2.00		2.00	
	DCF, Jaipur (N)	7.00		7.00	आवास संख्या V/2 हेतु राशि .2.00 लाख
	DCF, Jaipur	11.00	1.00	12.00	फोरेस्ट कॉलोनी आवास संख्या F1/1 हेतु 3.00 लाख एवं अशोक विहार कैम्पस में स्थित वाहन चालक आवास हेतु राशि 3.00 लाख
	Total	30.00	2.50	32.50	
CCF, Udaipur	DCF, Udaipur	6.00		6.00	
	DCF, Udaipur (N)	2.00	1.00	3.00	
	DFO, Pratapgarh	3.50		3.50	
	DCF, Dungarpur	4.50	0.50	5.00	
	DCF, Banswara	3.00	0.50	3.50	
	DFO, Chittorgarh	2.00		2.00	
	Total	25.00	2.00	27.00	
CCF, Kota	DCF, Baran	1.50		1.50	
	DCF, Bundi	1.50		1.50	
	DCF, Jhalawar	1.50		1.50	
	DFO, Kota	1.50	0.50	2.00	
	Total	6.00	0.50	6.50	
CCF, Ajmer	DFO, Ajmer	3.00	0.50	3.50	
	DFO, Tonk	2.00		2.00	
	DCF,Nagaur	2.00		2.00	
	DCF, Bhilwara	2.00		2.00	
	Total	9.00	0.50	9.50	
CCF, Jodhpur	DCF, Jalore	2.00		2.00	
	DCF, Barmer	2.00		2.00	
	DCF, Jaisalmer	2.00		2.00	
	DCF,IGNP, Jaisalmer	2.00		2.00	
	DCF, Sirohi	2.00		2.00	
	DCF Pali	2.00		2.00	
	DFO. Jodhpur	2.00		2.00	
	Total	14.00	0.00	14.00	
CCF, Bikaner	DFO, Bikaner	1.50		1.50	
	DCF, Chattar.	1.50		1.50	
	DCF IGNP-II, Bikaner	4.00	0.50	4.50	
	DCF, Ganganagar	3.50		3.50	
	DCF, Churu	1.50		1.50	
	DCF, Hanumangarh	3.00		3.00	
	DFO, WL, Bikaner	1.00		1.00	
	Total	17.50	0.50	18.00	

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर

संचार एवं भवन अन्तर्गत भवन संधारण हेतु राशि का आवंटन

लेखा मद 2406–01–101–20–21–वानिकी संचार तथा भवनो का आधुनिकीकरण, पुर्नजीविकरण,नवीनीकरण एवं उन्नयन

(राशि रू. लाखो में)

Name of CCF	Name of Div.	कार्यालय एवं आवास हेतु	विश्रामगृह हेतु	योग	वि.वि.
CCF, RVP, Kota	DCF,Aburoad	4.00	2.00	6.00	
	Total	4.00	2.00	6.00	
RFWTi, Jaipur	DCF, FTI, Jaipur	4.00	0.50	4.50	
	DCF,Trg.Alwar	3.00		3.00	
	DCF,Trg.Jodhpur	4.00		4.00	
	Total	11.00	0.50	11.50	
Silvi Culturist, Jaipur	DCF, Silvi Culturist, Jaipur	4.00	1.00	5.00	
CCF, WL, Jaipur	DCF,WL, Zoo,Jaipur	1.00		1.00	
CCF,WL, Udaipur	DCF,WL Rajasamand	2.50		2.50	
CCF, FPRP Jaipur	SPR&EO, Bhilwara	2.00		2.00	
CCF&FD,STR	DCF,WL, Jaipur	1.00		1.00	
	Total	1.00	0.00	1.00	
CCF, DO Jaipur	DCF, DOD, Surthgarh	1.00		1.00	
	Grand Total	137.50	10.00	147.50	

नोटः–राशि का व्यय इस प्रकार किया जावे कि किसी एक भवन का मरम्मत/संधारण पूर्ण रूप से हो जावें व्यय में प्राथमिकता उन भवनों को दी जावें जिनकी छत से पानी टपक रहा हो, प्लास्टर झड रहा हो, बिजली पानी की फिटिंग सही करना शौचालय मरम्मत आवश्यक हो।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर